

प्रेषक,
राकेश शर्मा,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग—१

देहरादून: दिनांक: २४ सितम्बर, 2015

विषय:—राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं लेखपाल के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण के लिए चयन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) संशोधित सेवा नियमावली, 2015 एवं राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) सेवा नियमावली, 2015 प्रख्यापित की गयी हैं, जिनकी प्रतियां सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। उक्त नियमावलियों की व्यवस्थानुसार राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के कुल सृजित 1216 पद तथा राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) के कुल सृजित 428 पदों के सापेक्ष जनपद में रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए उक्त नियमावलियों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार परीक्षा के आयोजन हेतु प्रत्येक जनपद में निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया गया है:—

1. जिलाधिकारी	—	अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	—	सदस्य
3. मुख्य विकास अधिकारी	—	सदस्य
4. अपर जिलाधिकारी (राजस्व/प्रशासन/वित्त)	—	सदस्य
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी	—	सदस्य

2— उपरोक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानकों का परीक्षण हेतु प्रत्येक जनपद में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:—

1. जिलाधिकारी	—	अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	—	सदस्य
3. मुख्य विकास अधिकारी	—	सदस्य
4. जिला क्रीड़ा अधिकारी	—	सदस्य

3— उक्त परीक्षा हेतु निम्नवत पाठ्यक्रम निर्धारित है:—

- सामान्य विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, इण्टरनेट, भारत का इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, भारतीय राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जनांकिकी, लोक प्रशासन, उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी, उत्तराखण्ड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश, उत्तराखण्ड के आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनायें, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा एवं खेल-कूद से सम्बन्धित प्रश्न, उत्तराखण्ड राज्य का इतिहास, ऐतिहासिक, पौराणिक एवं पुरातत्व से सम्बन्धित स्थल, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल एवं

घटनायें, लोक साहित्य, परम्परायें, रीति-रिवाज, वेश-भूषा, मेले एवं त्यौहार, लोक गायन, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र आदि।

(100 प्रश्न)

2. सामान्य बुद्धिमता से सम्बन्धित शास्त्रिक एवं गैर शास्त्रिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे, उसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अन्तरों स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य सृजन, विभेद, अवलोकन, सम्बन्ध अवधारण, श्रृंखला, अंकगणितीय गणना, सांख्यिकीय आलेखों एवं रेखाचित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालना व उनका निर्वचन करना तथा अन्य विश्लेषण कार्य से सम्बन्धित प्रश्न आदि।

(50 प्रश्न)

3. प्रदेश की प्रचलित भाषायें व बोलियों से सम्बन्धित शब्दावली, हिन्दी भाषा के मुहावरे, वर्तनी, लोकोक्तियां, विलोम, अनेकार्थक, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, सम्भि विग्रह, अलंकार, समास, प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली।

(50 प्रश्न)

नोट:- उक्त वस्तुनिष्ठ 200 प्रश्नों के उत्तर दिये जाने हेतु अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु 3:00 घण्टे का समय निर्धारित किया गया है।

4— उक्त परीक्षा आयोजित कराये जाने हेतु समय—सारिणी निम्नानुसार निर्धारित हैः—

क्र०सं०	विषय	निर्धारित तिथि
1.	जनपदों द्वारा विज्ञापन प्रकाशन की अवधि	05 अक्टूबर, 2015 से 10 अक्टूबर, 2015 तक
2.	आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	10 नवम्बर, 2015
3.	प्राप्त आवेदन पत्रों की सन्नीरीक्षा की अवधि	11 नवम्बर, 2015 से 20 नवम्बर, 2015 तक
4.	प्रवेश पत्र निर्गत करने की अन्तिम तिथि	30 नवम्बर, 2015
5.	शारीरिक दक्षता परीक्षण अवधि	15 दिसम्बर, 2015 से 20 दिसम्बर, 2015 तक
6.	निर्धारित शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानकों में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की तिथि	27 दिसम्बर, 2015 (परीक्षा का समय पूर्वाहन् 10:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक)
7.	परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	15 जनवरी, 2016
8.	सफल घोषित अभ्यर्थियों के स्वरूप प्रमाण पत्र व उनके समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन।	15 फरवरी, 2016
9.	प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि	01 मार्च, 2016

5— उक्त परीक्षा के लिए विज्ञप्ति तथा आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नानुसार हैः—

कार्यालय जिलाधिकारी (जनपद का नाम)

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग—1 की स्वीकृति के आधार पर जनपदमें रिक्त एवं वर्ष 2015 तक सम्भावित रिक्तियों की गणना करते हुए (..... अभ्यर्थियों की संख्या) अभ्यर्थियों का पटवारी तथा लेखपाल प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयन किया जाना है। चयन हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को अपराह्न 5:00 बजे तक निम्न अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र जिलाधिकारी कार्यालय, सम्बन्धित जनपद में जमा होंगे। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क प्राप्त न होने, शैक्षिक योग्यता एवं जाति के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने,

घोषणा पर हस्ताक्षर न करने एवं अपूर्ण आवेदन पत्र प्रेषित करने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थन निरस्त किया जायेगा। उक्त तिथि दिनांक 10 नवम्बर, 2015 के अपराह्न 5:00 बजे के पश्चात् प्राप्त तथा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा करने वाले लिफाफे के ऊपर विज्ञापन होना चाहिए।

1. अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
2. पटवारी प्रशिक्षण में चयन हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2015 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो तथा लेखपाल प्रशिक्षण में चयन हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2015 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो।
3. अभ्यर्थी केवल एक ही पद (पटवारी अथवा लेखपाल) के लिए तथा एक ही जनपद में आवेदन कर सकेगा।
4. अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
5. अभ्यर्थी का नाम प्रदेश के किसी भी जनपद के सेवायोजन कार्यालय में विज्ञाप्ति जारी होने की तिथि से पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। (पंजीयन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना भी आवश्यक है)।
6. आवेदन शुल्क सामान्य जाति के अभ्यर्थियों से ₹ 300 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों से ₹ 150 के लिए बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑडर जो जिलाधिकारी (सम्बन्धित जनपद) के नाम देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
7. अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा।
8. निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा।
9. आवेदन पत्र के साथ सभी पुष्टिकारक शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी हाईस्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक के सत्यापित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकायें एवं निर्धारित प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र, सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण पत्र, सेवायोजक द्वारा आवेदन पत्र यथास्थान अग्रसारित, अधिमानी अर्हता यदि कोई हो, तो उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।
10. जनपद की रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है:-

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग	अनारक्षित

हस्ताक्षर,
जिलाधिकारी,
सम्बन्धित जनपद।

आवेदन पत्र

विज्ञप्ति संख्या— आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि—10 नवम्बर, 2015

1. आवेदित पद का नाम —
(उम्मीदवार स्वयं लिखे)
2. आवेदक का नाम — हिन्दी में —
अंग्रेजी में —
3. पिता का नाम —
4. निवास स्थान—
5. (क) जन्म तिथि— अक्षरों में शब्दों में
(ख) दिनांक 01 जुलाई, 2015 को आयु वर्ष माह दिन
6. मूल एवं स्थाई निवास—ग्राम पोस्ट पटवारी क्षेत्र तहसील
7. पत्र व्यवहार का पता—
(पिन कोड सहित)
8. सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन संख्या दिनांक कार्यालय का नाम
9. शैक्षिक योग्यता—

पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ, जो
राजपत्रित
अधिकारी द्वारा
प्रमाणित किया
गया हो।

क्र०सं०	संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	हाई स्कूल					
2.	इण्टरमीडिएट					
3.	स्नातक					
4.	अन्य					

10. अभ्यर्थी यदि कोई अधिमानी अर्हता धारित करता है ? — हाँ / नहीं
11. अन्य विवरण / अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. अभ्यर्थी की श्रेणी— आरक्षित / अनारक्षित
13. जाति— अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अन्य (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
14. हॉरिजन्टल आरक्षण—
महिला / भूतपूर्व सैनिक / विकलांग व्यक्ति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित।
15. यदि अभ्यर्थी किसी सरकारी विभाग में सेवारत हो तो सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष / सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित कराया जाना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी का इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि चयनोपरान्त अवमुक्त करने में कोई कठिनाई एवं विधिक आपत्ति नहीं होगी।

अग्रसारित
हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी
(कार्यालय की
मुहर)

16. आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट / पोस्टल ऑर्डर संख्या दिनांक
- धनराशि.....
17. राष्ट्रीय रेलों में दक्षता प्राप्त—
(क) राष्ट्रीय स्तर (ख) राज्य स्तर (ग) जिला स्तर
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

18. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित स्थानों पर एवं घोषणा में यथास्थान हस्ताक्षर न किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा।

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

घोषणा

उपरोक्त आवेदन पत्र में अंकित समरत सूचनाए मेरी जानकारी एवं विश्वास से सही एवं सत्य हैं। कोई प्रविष्टि अस्पष्ट अपूर्ण भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण होने अथवा असत्य पाये जाने की दशा में मुझे चयन प्रक्रिया से वंचित किया जायेगा, इस सम्बन्ध में मेरा कोई प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा तथा आवेदक का अभ्यर्थन त्रुटिपूर्ण सूचना दिये जाने के कारण निरस्त किया जायेगा एवं सक्षम न्यायालय द्वारा भी दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

प्रवेश पत्र

अनुक्रमांक.....

श्री.....	पुत्र श्री.....	निवासी
ग्राम.....पटवारी वृत्त.....	तहसील.....	जिला.....
उत्तराखण्ड को दिनांक 27 दिसम्बर, 2015 को पूर्वाहन् 10:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक परीक्षा केन्द्र.....में पटवारी अथवा लेखपाल के रिक्त पदों के प्रशिक्षण हेतु सम्पन्न होने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।		

पासपोर्ट साईज
फोटो चिपकायें

हस्ताक्षर
जिलाधिकारी

पटवारी तथा लेखपाल प्रशिक्षण चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देशः—

1. आवेदन पत्र के साथ ₹ 5.00 के टिकट लगे हुए आवेदक के स्वयं के पते लिखे हुए तीन लिफाफे तथा एक पोस्टकार्ड संलग्न करना आवश्यक है।
2. चयन परीक्षा की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
3. अभ्यर्थी का चयन होने पर पटवारी प्रशिक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में एक वर्ष का प्रशिक्षण स्वयं के व्यय पर प्राप्त करना होगा।
4. आवेदन पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को अपराह्न 5:00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक से आवेदित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

5. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थानों पर नवीनतम पासपोर्ट साईज के फोटो चर्स्पा किये जायें, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश पत्र एवं दो पैन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पेंसिल, पाठ्यसामग्री मुद्रित या कागज की प्रतियां, पेजर, मोबाईल, कैलकुलेटर, टैबलेट एवं अन्य आधुनिकतम इलैक्ट्रोनिक उपकरण या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
7. एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र पाये जाने पर सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
8. अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण, अस्पष्ट, भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद भी सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए जिलाधिकारी कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा तथा अन्तिम तिथि को निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।
9. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात जांच में अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक प्रविष्टियां प्रथम दृष्ट्या निरस्त किये जायेंगे।
10. उक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हाईस्कूल तथा अन्य समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। आवेदक द्वारा जन्मतिथि की पुष्टि हेतु हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
11. अनुचित साधनों के प्रयोग एवं परीक्षा भवन में दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया जायेगा।
12. राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) तथा (लेखपाल) के प्रशिक्षण हेतु चयन परीक्षा दो चरणों में शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा के रूप में आहूत की जायेगी।
13. उक्त परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकृति की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जायेगी। उम्मीदवार द्वारा दिये गये प्रत्येक गलत उत्तर के लिए या उम्मीदार द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए, (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो) उस प्रश्न के लिए दिये जाने वाले अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। ३०००आर० उत्तर पत्रक पर एक वृत्त को ही पूरी तरह नीले/काले बॉल पैन से भरें। एक बार उत्तर अंकित करने के बाद उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
14. परीक्षार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर पत्रक को मोड़ा नहीं जायेगा और उस पर कोई अन्य निशान लगाये नहीं जायेंगे। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक तथा केन्द्र का नाम एवं अन्य प्रविष्टियां उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
15. परीक्षा प्रश्न पुस्तिका (बुकलेट) एवं उत्तर पत्रक का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में (केवल परीक्षा प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक की संख्या में भिन्नता की स्थिति को छोड़कर) दूसरी उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

6- उक्त परीक्षा के संचालन हेतु सामान्य निर्देश निम्नानुसार हैं:-

- उत्तराखण्ड राज्य में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं लेखपाल के सीधी भर्ती से प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा:-

1. जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
3. मुख्य विकास अधिकारी	-	सदस्य
4. अपर जिलाधिकारी (राजस्व / प्रशासन / वित्त)	-	सदस्य
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी	-	सदस्य

- अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी, जिसमें आयु, निर्धारित शुल्क, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ्स का मिलान, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों तथा आवेदन में की गयी प्रविष्टि का मिलान, आवेदन पत्र में यथा स्थान आवेदक के हस्ताक्षर की पुष्टि, यथोचित परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि एवं प्राप्ति का मिलान, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर की पुष्टि, जाति एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों की जांच की जायेगी। आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा के उपरान्त आवेदक को आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का कारण भी अवगत कराया जायेगा। इस हेतु आवेदक के द्वारा अपना पता लिखा हुआ एक पोस्टकार्ड भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।
- शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानकों में सफल होने पर लिखित परीक्षा में भाग ले सकेंगे।
- लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ 200 अंकों की होगी। शारीरिक परीक्षण में सफल होने पर ही शारीरिक दक्षता परीक्षा मात्र क्वालीफाईंग होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर ही प्रशिक्षण के लिए चयनित होंगे। अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
- परीक्षा की गोपनीयता, सुचिता, पारदर्शिता तथा त्रुटि रहित परीक्षा के सम्पादन का दायित्व सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी का होगा।
- परीक्षा का आयोजन संलग्न समय-सारणी एवं पाठ्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।
- राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं लेखपाल के सीधी भर्ती से प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानकों का परीक्षण निम्नानुसार गठित समिति से किया जायेगा:-

 - जिलाधिकारी
 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक
 - मुख्य विकास अधिकारी
 - जिला क्रीड़ा अधिकारी

-	अध्यक्ष
-	सदस्य
-	सदस्य
-	सदस्य

- शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक परीक्षण के उपरान्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सुसंगत आरक्षण नियमों के अनुसार उपलब्ध श्रेणीवार रिक्तियों के सापेक्ष अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। अन्तिम चयन सूची में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का चयन न हो पाने पर संबंधित श्रेणी के पद या पदों को अग्रेनीत करते हुए अन्तिम परिणाम घोषित किया जायेगा।

9. जनपद में राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं लेखपाल के सीधी भर्ती के रिक्त पदों का श्रेणीवार (रोस्टर) ऑकलन सुसंगत नियमावलियों की व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. आरक्षित श्रेणी के पदों को निर्धारित करते समय बैकलॉग को चिन्हित करते हुए बैकलॉग के पदों को भी शामिल किया जाय।
11. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (ऊर्ध्व (Vertical) आरक्षण तथा क्षैतिज (Horigental) आरक्षण) समय—समय पर यथासंशोधित अधिनियम और राज्य द्वारा भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों एवं मा० उच्च न्यायालय एवं मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह—ग के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु ₹ 150 प्रति आवेदन एवं सामान्य/अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु ₹ 300 प्रति आवेदन का निर्धारण कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या—196/XVII-2/2011-29 स०क० (2003) दिनांक 25.03.2011 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांग जन के लिए आरक्षण हेतु समूह—ग के पदों के चिन्हांकन में लेखपाल का पद समिलित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पटवारी का पद विकलांग आरक्षण के लिए चिन्हित नहीं है।
12. जिलाधिकारी द्वारा अपने जनपद में कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उसके सापेक्ष आवेदकों की संख्या का ऑकलन करते हुए जिले में स्थित ऐसे सार्वजनिक भवनों/विद्यालयों व अन्य संस्थाओं, जिनमें परीक्षा कराये जाने हेतु पर्याप्त अवस्थापना, पेयजल, शौचालय एवं सुरक्षा भी समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो और जिनकी सामान्य ख्याति अच्छी हो, को परीक्षा की सुचिता एवं गोपनीयता की दृष्टि से उपयुक्त एवं परीक्षा की दृष्टि से सुरक्षित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र के रूप में चिन्हित किया गया जायेगा।
13. जिलाधिकारी प्रत्येक चिन्हित परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक आधारभूत सुविधाओं यथा—बिजली, पेयजल, फर्नीचर, यातायात, वाउन्ड्रीवाल एवं पहुँच मार्ग आदि की समुचित समीक्षा कर संबंधित को ससमय समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश अपने स्तर से जारी करेंगे और यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि परीक्षा प्रारम्भ होने से एक दिन पूर्व समस्त आवश्यक आधारभूत व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली गयी हैं, इसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जायेगी। परीक्षा केन्द्र के रूप में सामान्यतया तहसील, विकासखण्ड मुख्यालय से नीचे के स्थल पर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। आवेदन पत्रों/आवेदकों की संख्या के दृष्टिगत् ऐसा करना अनिवार्य हो, तो जिलाधिकारी मण्डलायुक्त को प्रस्ताव भेज कर इतर परीक्षा केन्द्र निर्धारण का अनुमोदन भी प्राप्त करेंगे।
14. निर्धारित परीक्षा से पूर्व प्रश्नपत्र पुस्तिका (बुकलेट) एवं उत्तर पुस्तिकायें जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। जिसे जिलाधिकारी पर्याप्त सुरक्षा में उसी दिन जनपद के कोषागार के डबल लॉक में जमा करायेंगे। जिलाधिकारी परीक्षा के दिन डबल लॉक से प्रश्नपत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा से पूर्व परीक्षा केन्द्रों की दूरी के अनुसार 02(दो) घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्रों पर पहुँचाने तथा परीक्षा के उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं एवं अन्य सामग्री सीलबन्द लिफाफों में सुरक्षित रूप से पुनः कोषागार के डबल लॉक में जमा करना सुनिश्चित करेंगे अथवा निर्देशानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी सूचना फैक्स के माध्यम से मण्डलायुक्त, राजस्व परिषद एवं शासन को भी उपलब्ध करायेंगे।

15. जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत् समस्त क्षेत्र को जोन/सेक्टर में विभक्त कर जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल/सेक्टर पुलिस अधिकारी की तैनाती करते हुए उनके दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जायेगा।
16. जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र हेतु केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में सेवारत अधिकारियों में से किसी एक को उनकी कार्यक्षमता, निष्ठा, सामान्य छवि एवं अनुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए नियुक्त किया जायेगा। जिलाधिकारी केन्द्र व्यवस्थापक को यह भी निर्देश देंगे कि सत्यनिष्ठ एवं स्वच्छ छवि के सरकारी कर्मियों को ही कक्ष-निरीक्षक के रूप में तैनात किया जाय, तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जायेगा जो कम से कम द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी होगा।
17. जिलाधिकारी परीक्षा प्रक्रिया से अप्रत्यक्ष/प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने वाले समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को परीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया की विधिवत् जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
18. जिलाधिकारी द्वारा जनपद मुख्यालय पर, मण्डलायुक्त द्वारा मण्डल मुख्यालय पर तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा परिषद स्तर पर परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु एक कन्ट्रोल रूम संचालित किया जायेगा जिसमें नोडल अधिकारी के अतिरिक्त एक अन्य राजपत्रित अधिकारी की तैनाती करते हुए उनके साथ सहयोग एवं समन्वय हेतु दो अन्य उत्तरदायित्वपूर्ण कर्मचारी नियुक्त होंगे।
19. जिलाधिकारी प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर यथासंभव राजपत्रित श्रेणी के एक-एक अधिकारी को केन्द्र पर्यवेक्षक के रूप में नामित करेंगे जो परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रश्नपत्र पुस्तिकाओं को पहुँचाने से पहले उपस्थित रहकर उत्तर पुस्तिकाओं को डबल लॉक में जमा करने तक सजग एवं उपस्थित रहेंगे।
20. परीक्षा की प्रक्रिया, प्रगति, समन्वय हेतु मण्डलायुक्त द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जायेगी।
21. जिलाधिकारी द्वारा परीक्षा की तिथि को कक्ष निरीक्षक को ₹ 750, केन्द्र व्यवस्थापक को ₹ 1200 पर्यवेक्षक एवं मुख्य पर्यवेक्षक को ₹ 1500 पारिश्रमिक/मानदेय दिया जायेगा, तथा अन्य सहयोगी कर्मियों के लिए ₹ 400 अनुमन्य किया जाना उपयुक्त होगा।
22. जिलाधिकारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर उत्तर पत्रकों को समुचित सुरक्षा सहित निर्देशित प्राधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
23. उत्तर पत्रक की एक प्रति अभ्यर्थी को परीक्षा के उपरान्त दे दी जायेगी। परीक्षा के उपरान्त उत्तरमाला जिलाधिकारी कार्यालय की वेबसाईट पर पारदर्शिता के दृष्टिगत् अपलोड कर दी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में संशय होने पर सही उत्तर की पुष्टि में अभिलेखों सहित जिलाधिकारी कार्यालय में आपत्ति दर्ज की जायेगी। सही उत्तर के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तरमाला वेबसाईट पर केवल एक सप्ताह के लिए डिसप्ले की जायेगी।
24. समस्त जनपदों के द्वारा एक ही दिन अर्थात् दिनांक 15 जनवरी, 2016 को परीक्षाफल घोषित कर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया जायेगा तथा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के द्वारा भी जनसामान्य को विभिन्न माध्यमों से अवगत कराया जायेगा।

7— पटवारी तथा लेखपाल के प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए परीक्षा के प्रश्न पत्रों के सम्बन्ध में पारदर्शिता एवं गोपनीयता के दृष्टिगत् प्रक्रिया एवं दिशानिर्देश पृथक् से यथासमय उपलब्ध कराये जायेंगे।

प्रश्नगत परीक्षा कार्यक्रम समयबद्ध एवं श्रमसाध्य प्रक्रिया है, जिसमें आपका व्यक्तिगत योगदान आवश्यक है। राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं लेखपाल के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन की प्रक्रिया में कोई समस्या एवं संशय हो तो दूरभाष के माध्यम से अल्पसमय में समस्या का निराकरण सुनिश्चित किया जाय। प्रकरण में परीक्षा के प्रत्येक चरण की समाप्ति पर (निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार) शासन को उसी दिन फैक्स के माध्यम से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
मुख्य सचिव

संख्या— /XVIII(1)/2015 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इंटरनेट पर प्रसारण हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्वाल)
सचिव